

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 76/2024

सुआ कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधान वन संरक्षक(वन बल) वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, बाड़मेर।
3. क्षेत्रीय वन संरक्षक, चोहटन, बाड़मेर।
4. उप वन संरक्षक, वन विभाग, जैसलमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.03.2024

आदेश की दिनांक : 05.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशु रक्षक के पद पर दिनांक 11.05.2013 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में वन रक्षक के पद पर रेंज, चौहटन उपवन संरक्षक,, बाड़मेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपवन संरक्षक, जैसलमेर में 350 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में पुलिस कानि. के पद पर पुलिस स्टेशन, चौहटन, बाड़मेर में कार्यरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1243/2022 एस.के. नौशाद रहमान व अन्य के पैरा संख्या 50 में राजकीय सेवा में कार्यरत् पति-पत्नी को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पारिवारिक जीवन को जीने के लिए तथा दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण से पूर्व के वर्तमान स्थान पर वन रक्षक के पद पर रेंज, चौहटन उपवन संरक्षक, बाड़मेर में ही पदस्थापित रखने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। विद्वान् अभिभाषक ने जाहिर किया कि स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होने के उपरान्त भी अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य